

**बिहार सरकार,
खान एवं मृत्तत्व विभाग।**

पत्रांक— 192 / एम०, पटना,
प्रेषक,

दिनांक— 12/01/2023

मो० मोईज उद्दीन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

Email

M/s LAKSHITA CONSTRUCTION

Partner- Yogendra Kumar

MALI, PARARIYA, AUURANGABAD, BIHAR

Email-pratap.gautam19@gmail.com

विषय— **गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-34 (गया मोरहर-21) के खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार बालू खनन नीति-2019 यथा संशोधित एवं बिहार खनिज (तगानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित 2021) के नियम-17 में वर्णित प्रावधानों के तहत गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-34 (गया मोरहर-21) से संबंधित समर्पित खनन योजना के अनुमोदन पर प्राधिकृत समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षापरांत निम्न शर्तों एवं बंधेजों के तहत खनन योजना अनुमोदित की जाती है -

1. उक्त खनन योजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विनियमित अन्य सभी अधिनियम/नियमावली में वर्णित प्रावधानों को तथा किसी न्यायालय/अन्य न्यायिक संस्था द्वारा पारित किये गये न्यायादेश को बिना प्रभावित किये अनुमोदित किया जा सकता है।
2. उक्त खनन योजना का अनुमोदन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित), बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-17, धन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, श्रम संबंधी नियम, FMQSM 2020 तथा अन्य सभी सुसंगत अधिनियम/नियमावली तथा उनमें वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा। लीज के रकबा के अनुसार प्रति हेक्टेयर कम से कम 10 पौधा लगाना होगा तथा 50 प्रतिशत Survival सुनिश्चित करना होगा।
3. खनन योजना में निहित शर्तों का पालन करते हुए ही बालू खनिज का खनन तथा प्रेषण किया जायेगा।
4. संबंधित सक्षम प्राधिकार से यथा वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
5. यदि किसी भी समय खनन योजना में वर्णित शर्तों के अनुपालन में अनियमितता पायी जाती है, तो खनन पदाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
6. संबंधित बालूघाट में खनिज की उपलब्धता, पहुँच पथ का निर्माण तथा अन्य खनन कार्यों से संबंधित सम्पूर्ण जबाबदेही बालूघाट संचालनकर्ता की होगी तथा इससे किसी भी तरह का कोई दावा अथवा क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगा।
7. खनन योजना में वर्णित सभी तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं से संबंधित आँकड़ों की सत्यता / वैधता की जिम्मेवारी RQP/बंदोबस्तधारी की होगी तथा भविष्य में उपर्युक्त के संबंध में किसी प्रकार की भिन्नता/अनियमितता की पूरी जवाबदेही RQP/बंदोबस्तधारी की होगी।

MINING PLAN

WITH PROGRESSIVE MINE CLOSURE PLAN

Submitted under Rule 177 of Bihar Minerals (Acquisition, Prevention or Regal)

Transportation & Storage Rules 2015

OF

BLOCK-34 (GAYA MORHAR - 21) SAND GHAT RIVER - MORHAR

in Manja - Saifganj

Anchor- Banke bazar, Dist- Gaya, (Bihar).

APPLIED AREA- 3.0 HECTARES

PLAN PERIOD: FOR FIVE YEARS

APPROVED
Vice Dept. of Mines & Geology
Dist. of Bihar, Patna
Order No. 192/2023 (1310)23



Settlee

M/s Lakshita Construction

Partner- Yogendra Kumar

Add - Mali, Parariya, Aurangabad, Bihar.

Mob.- 9973165982.

Email ID: pratap.gautam19@gmail.com

Prepared By:

Er. Pravin Kr Sinha (Regd. No.: RQP/BIH/SR.NO.20)

Consultant :

P&M Solution

C-88, SECTOR-65 NOIDA

(Accredited by QCI- NABET)

Regional Off -

9889024004 & 7542949027, Mangal Market, Raja
Bazar, Patna (Bihar) Pin - 800014

pravin.kr.sinha@gmail.com

M/s LAKSHITA CONSTRUCTION

PARTNER